

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला—टोंक (राजस्थान) — 304501





No.6(366)SP/2016

Dated 09-06-2021

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Jobcontract** work for Kharif fodder crop production related activities at various agricultural sectors under the Farm Section of the Instituteat ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501. Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	6(366)SP/2016
Date and Time for issue/Publishing	09-06-2021 at 6-00 PM
Document Download/Sale start date and time	10-06-2021 at 3-00 PM
Bid Submission Start Date and Time	10-06-2021 at 3-00 PM
Bid Submission End Date and Time	30-06-2021 at 3-00 PM
Date and Time for Opening of Bids	01-07-2021 at 3-00 PM
Tender fee and Earnest money	Tender fee –Rs.1000/-
Security money	EMD- Bid Securing Declaration Form
	Performance Security money-3% of value of
	the contract
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable
	State Bank of India
	Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Asstt, Administrative Officer (Store &
	purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura,
	Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Asstt.Administrative Officer

Chapter I- Instruction to bidders

- 1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.
- 2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
- 3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders. The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.
- 4- Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions to the Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the CentralPublic Procurement Portal for e-procurement at https://eprocure.gov.in/eprocure/app.
- 5- Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing sizeof the scanned document.
- 6- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.1000**/- (Non-refundable) in the shape of Demand Draft/NEFT/RTGS prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI**, **Avikanagar payable at SBI**, **MALPURA may be addressed to the Assistant Administrative Officer**, **C.S.W.R.I.**, **Avikanagar**, **Malpura**, **Distt. Tonk**, **Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 7- EMD Payment: The bidder shall be required to submit the Bid Securing Declaration (Annexure IV) instead of Earnest Money Deposit (EMD) for an amount of 2% of Contract Value as per GOI OMNo.F.9/4/2020-PPD dated 12.11.2020. If bidders withdraw or modify their bids during the period of validity,or if they are awarded the contract and they fail to sign the contract, or to submit a performance security before the deadline defined in the request for bids/request for proposals document,they will be suspended for the period of time specified in the request for bids/request for proposals document from being eligible to submit Bids/Proposals for contracts with the Procuring Entity.
- 8- The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document etc. must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee will be summarily rejected.
- 9- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the Assistant Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 10- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.
- 11. **Technical Bid**: The following scanned documents are to be furnished by the bidders along with Technical Bid as per the tender document:
 - 1. Scanned copy of Firm Registration certificate
 - 2. Scanned copy of Pan card
 - 3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST, a certificate is required showing his turnover less than Rs.20 lakhs of his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Reurn), balance sheet, profit & Loss Statement etc.
 - 4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
 - 5. Scanned copy of D.D./NEFT/RTGS acnolegment slip and transaction slip of Tender Fee and Bid Securing Declaration Form (as per Annexure-IV)
 - 6. Scanned copy of Acceptance letter
 - 7. Scanned copy non blacklisting certificate (as per Annexure-III)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Chapter II- Scope of Work

प्रक्षेत्र अनुभाग के अन्तर्गत विभिन्न कृषि सैक्टरो पर खरीफ चारा फसलों के उत्पादन हेतु अनुबन्ध प्रस्ताव

(वर्ष 2021-22)

क्रम		अनुमानित समय	कार्य की	दर रूपये
संख्या		अवधि / फसलें	अनुमानित मात्रा	
	कार्य का विवरण			
1-	चारा फसलों एवं अंजन घास उत्पादन के लिये प्रक्षेत्र			
	तैयार करने हेतु, विभिन्न ब्लॉकों से झाडियों / सूखे पेड़ों		१५० हैक्टर	प्रति हैक्टर
	के ठूंठों एवं अन्य अंवाछनीय पदार्थो को हटाना । पेड़ों	2022 तक	150 8464	भात ४५८५
	की छंगाई ट्रेक्टर के हुड को नुकसान होने से बचाने के			
	लिए करना।			
_		-\\' \C		~ ~
2-	खरीफ फसल में चौंला, ग्वार, बाजरा एवं मक्का की बुआई	चौंला बीज	10 क्विटल	प्रति क्विंटल
	से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाये (जैसे–दो बार			
	निराई–गुडाई करना, फसल कटाई, ग्वार की थ्रेसिंग			
	करवाना, तुलवाने के बाद पशुधन सैक्टरों पर चौंला, बाजरा एवं मक्का सूखे चारे की कुट्टी करवाना एवं बीज	मक्का बीज	50 क्विटल	प्रति क्विंटल
	व चारे के भण्डारण तक का कार्य करना) ग्वार एवं बाजरा	W-		
	,	चौंला सूखा चारा		
	बीज की मात्रा फसलों के सूखे चारे में बीज की मात्रा सम्मलित होगी। जिसमें बीज की दर चारे के वजन में		600 क्विंटल	प्रति क्विंटल
	- '		000 विवटल	त्रारा विषटल
	सम्मलित होगी। ट्रेक्टर व कुट्टी मशीन संस्थान द्वारा	ग्वार भूसा	600 क्विंटल	प्रति क्विंटल
	उपलब्ध करवाया जावेगा।	C.		
			ana Dire	
		मक्का एवं बाजरा	300 क्विंटल	प्रति क्विंटल
		कड़बी		

प्रक्षेत्र पर कृषि से सम्बन्धित कार्यों का अनुबन्ध के नियम एवं शर्त्त

- 1. अनुबन्ध की अविधि दिनांक आदेश जारी होने की तिथि से 31–03–2022 तक रहेगी। कार्य सन्तोषजनक पूर्ण होने पर यदि आवश्यक हुआ तो संस्थान द्वारा अुबन्ध की अविध आपसी सहमित से वर्तमान दर, नियम व शर्तो पर आगे भी बढाई जा सकती हैं। कार्य सन्तोषजनक नही रहने पर अनुबन्ध को समय से पूर्व ही बिना सूचना के रदद किया जा सकता हैं।
- 2. अनुबन्धकर्ता को प्रक्षेत्र के चॉदसेन, टाउनशीप, नयाकुआ एवं मझोला सैक्टरों के कार्यों को करवाने के लिए अलग—अलग प्रयेवक्षक नियुक्त कर प्रभारी फार्म / प्रभारी सैक्टरों के निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य समय पर पूरे करवाने होगें । अनुबन्ध कार्य को पूर्ण करवाने के लिए प्रभारी सेक्टरों के निर्देशानुसार श्रमिकों का प्रबन्ध करना होगा। कार्य निर्देशानुसार समय पर पूर्ण नहीं करवाने पर अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- 3. काटे गये सूखे चारे में अगर किसी तरह की अनावश्यक मिलावट पाई जाती है तो प्रभारी प्र—क्षेत्र / सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह अनुबन्धकर्ता को स्वीकार्य होगा।
- 4. अनुबन्धकर्ता / प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर करने होगें । कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या सन्तोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है ।
- 5. अनुबन्धकर्ता / प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता / गैर जिम्मेदारी / अवज्ञाा की गई अथवा कोई नुकसान / चोरी / क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वंय अनुबन्धकर्ता को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली वावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।

- 6. फसलों की कटाई प्रभारी फार्म अनुभाग / सैक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार से करनी होगी तथा फसलों की तुलवाई धर्म कॉट पर या निर्धारित स्थान पर भेड़ सैक्टरों पर गठित समिति द्वारा किया जावेगा एवं चारे को चारा डिपो में ठीक तरह से जमाना होगा।
- 7. अनुबन्धकर्ता को खरीफ की फसल उत्पादन करने के दौरान उपरोक्त सभी सैक्टरों पर उपलब्ध सामान की सुरक्षा / सिंचाई में काम में आने वाले ट्यूबवैल एवं उक्त क्षेत्र में लगी लोहे की फेसिंग की देखभाल करनी होगी तथा कार्य क्षेत्र के आस—पास लगभग 10 मीटर चारों ओर बने रास्तों की सफाई, लॉन की देखरेख, कटाई छंगांई, पेड़ पौधों को पानी डालना, अनुभाग की नर्सरी की देखभाल करना एवं प्रत्येक सैक्टर पर पहले से बनी नालियों में निर्देशानुसार अपशिष्ट ऊन की खाद तैयार करना होगा। साथ ही खरीफ की फसल की अविध पूर्ण होने पर प्रभारी फार्म अनुभाग के निर्देशानुसार समस्त सामान रबी की फसल उत्पादन करने वाले अनुबन्धकर्ता को सौपना होगा।
- 8. उक्त कार्य के लिये काम में आने वाले औजार व मजदूर अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाना होगा। जुताई, बुआई व ढुलाई के लिये ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा।
- 9. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, प्रक्षेत्र व उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पर्णता करने का प्रमाणित करेगे। उसके बाद ही भुगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप—दण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- 10. अनुबन्कर्ता को फसल की रखवाली भी स्वयं करनी होगी। यदि रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल में से औसत पैदावार के आधार पर की जावेगी। नुकसान का आकंलन प्रभारी प्रक्षेत्र / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
- 11. मानसून एवं विविध कारणें से चारा फसलों का उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदरी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
- 12. खरीफ फसलों की ब्वाई हेत् बीज संस्थान का रहेगा।
- 13. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्ये प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा—निर्देशानुसार करना होगा एवं खेती के लिए खेत का निर्धारण प्रभारी प्र—क्षेत्र / प्रभारी, सेक्टर के अनुसार होगा।

कटौतियाँ:--

- 1. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा कोई नुकसान/ चोरी/क्षिति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वंय अनुबन्धकर्ता को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी।
- 2. अनुबन्कर्ता को रात की रखवाली भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगा । यदि रात की रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल मे से की जावेगी । नुकसान का आकंलन प्रभारी, प्रक्षेत्र / प्रभारी, सेक्टर / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
- 3. variation clause subject to force measure को देखते हुए प्रस्ताव की तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत कम या 20 प्रतिशत अधिक होने पर कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा । परन्तु प्रस्ताव की तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत से कम होने की दशा में, 20 प्रतिशत से कम हुई उत्पादन की मात्रा पर 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है । इसी तरह तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन की मात्रा पर 90 प्रतिशत का ही भुगतान किया जावेगा।

जैसे: यदि प्रस्ताव में उत्पादन की मात्रा 1000 क्विंटल रखी गई है यदि यह निर्धारित मात्रा 20 प्रतिशत कम उत्पादन होने पर अर्थात 800 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि इसकी उत्पादन मात्रा 800 से घटाकर 700 क्विंटल ही रह जाती है तो उस स्थिति में कम उत्पादन मात्रा 100 क्विंटल पर 10 प्रतिशत कम करके अर्थात 690 मात्रा का ही भुगतान अनुबंधकर्त्ता को किया जा सकेगा।

ठीक इसी तरह यदि निश्चित की गई उत्पादन मात्रा 1000 क्विंटल है 20 प्रतिशत अधिक मात्रा उत्पादित होने पर अनुबंधकर्त्ता को अर्थात 1200 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि उत्पादित मात्रा 1200 से बढ़कर यदि 1400 क्विंटल हो जाने पर ऐसी स्थिति में 200 क्विंटल अधिक मात्रा पर 90 प्रतिशत मात्रा का ही भुगतान किया जावेगा। अर्थात कुल मात्रा 1380 क्विंटल का ही अनुबंधकर्त्ता को भुगतान देय होगा।

4. फसल अवधि के दौरान मौसम की प्रतिकूलता एवं अन्य प्रतिकूल कारकों के होने पर variation clause subject to force measure लागू नहीं होगा।

अनुबन्ध की सामान्य नियम व शतें:

- 1. अनुबन्ध की अवधि आदेश जारी होने की तिथी से 31 मार्च 2022 तक के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ायी जा सकता है। कार्य सन्तोषजनक नहीं रहने पर अनुबन्ध को समय से पूर्व ही बिना सूचना के रदद किया जा सकता है।
- 2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समक्षा जावेगा।
- 3. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
- 4. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, प्रक्षेत्र से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिशा—निर्देशानुसार सुचारू—रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
- 5. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों / अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
- 6. अनुबन्धकर्ता / प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर करने होंगे। कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोडने पर या सन्तोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है।
- 7. श्रीमकों के बारे में निर्धारित रिजस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रीमकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
- 8. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय—समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी. एस.टी. / आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
- 9. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय—2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
- 10. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय—पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय—पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय—पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान—पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
- 11. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार / उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता / क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्यक करवा लें।
- 12. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
- 13. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 14. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
- 15. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अविध व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
- 16. अनुबन्ध कार्य पर जी०एफ०आर० २०17, मेनुअल फॉर प्रोक्यारमेण्ट ऑफ गुड्स एवं सर्विसेज २०17 एवं समय—समय पर भरत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं संशोधन लागू होंगे।
- 17. स्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
- 18. सफल ठेकेंदार को 500 / रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
- 19. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक / सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
- 20. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।

Chapter III- General Terms & Conditions

- 1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
- 2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the farm area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
- 3. The contract will be awarded to the Loastquotee based on the rates quoted by the firm. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of personnel at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector the institute will reject such tenders. In case of two or more tenders quote same rates the tenderer having experience in relevant work will be given preference.
- 4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason
- 5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
- 6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on non-judicial stamp paper of appropriate value not less than Rs. 100/- along with the Security Deposit @5% of contract value in form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or FDR/TDR in favour of ICAR Unit CSWRI, Avikanagarwithin 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/ termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
- 7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter will be extendable up to one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions.
- 8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
- 9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-60 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
- 10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
- 11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
- 12. **PENALTY CLAUSE: LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE**: Any loss/damage occurred by the Firm/Contractor to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause liquidated damages for **Rs.500/-** per day shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any damages and/ or loss, which may be suffered by the agency onaccount of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
- 13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of I/c Farm Section the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
- 14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
- 15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
- 16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the

- Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.
- 17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.
- 18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
- 19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (if applicable).
- 20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
- 21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserve the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
- 22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. Violation would invite forfeiture of security deposit.
- 23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties; the legal jurisdiction will be Malpura only.
- 24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
- 25. The contractor or its worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
- 26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by HOD/Incharge on receiving telephone message to attend any complaint.
- 27. The Contractor firm or its partners/Directors should not been declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Asstt.Administrative Officer (S&P)

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

क्रमांकः <mark>६(366) एसपी / 2016 /</mark> दिनांकः 09.06.2021

निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)

प्रक्षेत्र अनुभाग के अन्तर्गत विभिन्न कृषि सैक्टरो पर खरीफ चारा फसलों के उत्पादन हेतु अनुबन्ध प्रस्ताव (वर्ष 2021–22)

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित समय अवधि/ फसलें	कार्य की अनुमानित मात्रा	दर रूपये
1-	चारा फसलों एवं अंजन घास उत्पादन के लिये प्रक्षेत्र तैयार करने हेतु, विभिन्न ब्लॉकों से झाडियों / सूखे पेड़ों के ठूंठों एवं अन्य अंवाछनीय पदार्थों को हटाना । पेड़ों की छंगाई ट्रेक्टर के हुड को नुकसान होने से बचाने के लिए करना।	जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक	150 हैक्टर	प्रति हैक्टर
2-	खरीफ फसल में चौंला, ग्वार, बाजरा एवं मक्का की बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाये (जैसे–दो बार निराई–गुडाई करना, फसल कटाई, ग्वार की थ्रेसिंग करवाना, तुलवाने के बाद	चौंला बीज	10 ਕਿੰਬਟल	प्रति क्विंटल
	पशुधन सैक्टरों पर चौंला, बाजरा एवं मक्का सूखे चारे की कुट्टी करवाना एवं बीज व चारे के भण्ड़ारण तक का कार्य करना) ग्वार एवं बाजरा बीज की मात्रा फसलों के सूखे चारे में बीज की मात्रा सम्मलित होगी। जिसमें बीज की दर चारे के	मक्का बीज चौंला सूखा चारा	50 क्विटल	प्रति क्विंटल
	वजन में सम्मलित होगी। ट्रेक्टर व कुट्टी मशीन संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।	ग्वार भूसा	600 क्विंटल 600 क्विंटल	प्रति क्विंटल प्रति क्विंटल
		मक्का एवं बाजरा कड़बी	300 क्विंटल	प्रति क्विंटल

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली—भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यों का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृषि सैक्टरों पर खरीफ चारा फसलों के उत्पादन से संबंधित कार्य को अनुबन्ध / ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट / जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय—समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय—समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देषानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान / हस्तक्षेप करने / या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत / जमानत राशिको जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे /हमारे संज्ञान में भली—भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे / हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक----

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील पूरा पता टेलीफोन/मोबाईल नं.

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date:	Name:
Place:	Business Address:
	Signature of Bidder
	Seal of the Bidder:

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

क्रमांकः 6(366) एसपी / 2016 / दिनांकः 09.06.2021

वित्तीय निविदा प्रक्षेत्र अनुभाग के अन्तर्गत विभिन्न कृषि सैक्टरो पर खरीफ चारा फसलों के उत्पादन हेतु अनुबन्ध प्रस्ताव (वर्ष 2021–22)

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित समय अवधि / फसलें	कार्य की अनुमानित मात्रा	दर रूपये
1-	चारा फसलों एवं अंजन घास उत्पादन के लिये प्रक्षेत्र तैयार करने हेतु, विभिन्न ब्लॉकों से झाडियों/सूखे पेड़ों के ठूंठों एवं अन्य अंवाछनीय पदार्थो को हटाना । पेड़ों की छंगाई ट्रेक्टर के हुड को नुकसान होने से बचाने के लिए करना।	जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक	150 हैक्टर	प्रति हैक्टर
2—	खरीफ फसल में चौंला, ग्वार, बाजरा एवं मक्का की बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाये (जैसे–दो बार निराई–गुडाई करना, फसल कटाई, ग्वार की		10 क्विटल	प्रति क्विंटल
	थ्रेसिंग करवाना, तुलवाने के बाद पशुधन सैक्टरों पर चौंला, बाजरा एवं मक्का सूखे चारे की कुट्टी करवाना एवं बीज व चारे के भण्डारण तक का कार्य	मक्का बीज चौंला सूखा	50क्विटल	प्रति क्विंटल
	करना) ग्वार एवं बाजरा बीज की मात्रा फसलों के सूखे चारे में बीज की मात्रा सम्मलित होगी। जिसमें	चारा	600 क्विंटल	प्रति क्विंटल
	बीज की दर चारे के वजन में सम्मलित होगी। ट्रेक्टर व कुट्टी मशीन संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।	ग्वार भूसा	600 क्विंटल	प्रति क्विंटल
		मक्का एवं बाजरा कड़बी	300 क्विंटल	प्रति क्विंटल

दिनाक————

हस्ताक्षर ठेकेदार / फर्म प्रतिनिधि मय सील पूरा पता टेलीफोन / मोबाईल नं.

Bid Securing Declaration Form [To be submitted on letterhead]

NIT No.:	Date:		
To (insert compl	ete name and address of the purchase	er)	
I/We. The undersigned	ed, declare that:		
I/We understand that,	according to your conditions, bids r	nust be supported by a Bid Securing Declaration.	
•		For any contract with you for a period of 01 year from obligation under the bid conditions, because I/We	
	odified/amended, impairs or derogatin the form of Bid; or	tes from the tender, my/our Bid during the period of	
fail or reuse to execu	•	e purchaser during the period of bid validity (i) ail or refuse to furnish the Performance Security, in	
upon the earlier of (i		e to be valid if I am/we are not the successful Bidder, the name of the successful Bidder; or (ii) thirty days	
Signed: in the capacity of	,	n whose name and capacity are shown) igning the Bid Securing Declaration)	
Name:	(insert complete name of person signing he Bid Securing Declaration)		
Duly authorized to sign	gn the bid for an on behalf of	(insert complete name of Bidder)	
Dated on	day of	(insert date of signing)	
Corporate Seal (when	e appropriate)		
(Note: In case of a J	-	aration must be in the name of all partners to the	